

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधानकार्यालय
इलाहाबाद।

NCRPS No. 5405/2018

दिनांक .12.2018

पत्रसं.797-ई / पालिसी / 2018/D&AR

अपर महाप्रबंधक / उ.म.रे. / इलाहाबाद।

समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र. / सा.मु.प्रशा.अधि. / नि.
मंडलरेलप्रबंधक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

उप मु. सा. प्र. / झांसी, उप मुख्य इंजी. / सीपीओएच / इला., अधि.इंजी. / सीएसपी / इला.।
प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेंटर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, लोको, झांसी, बेसिक

ट्रेनिंग सेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड
डब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर, कानपुर, परमानेन्टवे ट्रेनिंग सेंटर झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर

सूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, मु.प्रा.अधि., आईआरपीएमयू / नईदिल्ली।
उप मु.इंजी. / ब्रिज / लाईन / इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी. / टीएमसी / लाईन / झांसी।

व.स.वि.स. / कैश एवंपे / उमरे, इला.।

Sub:-Procedure for dealing with DAR cases against Group 'C' and 'D' Staff
arising out of Vigilance investigation.

रेलवेबोर्ड के पत्र सं.2012/V-1/Meet/5/2दिनांक 28.11.2017 (RBE-08-2017) की
प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठकार्मिकअधिकारी / मुख्या.
कृतेमहाप्रबंधककार्मिक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक- एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।


08/02/19

